



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

2561

17/9/21

कमांक एफ 2(1)परावि/प्रशा.1/वि.अ./संस्था/ट्रेप/कुशलगढ/बांसवाडा/2021/

जयपुर दिनांक:-

—: आदेश :-

श्री फिरोज खान, RRDS, विकास अधिकारी पंचायत समिति कुशलगढ जिला बांसवाडा को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दिनांक 15.8.2021 को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाकर तफ्तीश प्रारंभ की गई है एवं दिनांक 19.8.2021 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे है।

श्री फिरोज खान को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13(2) के अन्तर्गत गिरफ्तारी दिनांक 15.8.2021 से निलम्बित (Deemed to have been suspended) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे अविलम्ब अपनी उपस्थिति पंचायती राज विभाग, मुख्यालय, जयपुर पर प्रस्तुत करेंगे।

(अपणा अरोरा)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव (एल.टी), माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके परिपत्र दिनांक 14.12.2000, 10.8.2001 एवं 31.7.2018 के क्रम में आदेश की पुष्टि करने हेतु प्रेषित है।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, नरेगा, राजस्थान जयपुर।
8. संभागीय आयुक्त, उदयपुर।
9. जिला कलक्टर, बांसवाडा।
10. अतिरिक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बांसवाडा।
11. विकास अधिकारी पंचायत समिति कुशलगढ जिला बांसवाडा।
12. श्री फिरोज खान, आरआरडीएस, विकास अधिकारी पंचायत समिति कुशलगढ जिला बांसवाडा को निर्देशित किया जाता है कि वे पंचायती राज विभाग, मुख्यालय पर इस प्रयोजनार्थ रखी गयी उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करेंगे तथा बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
13. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
14. आदेश पत्रावली/निजी पत्रावली।

(डॉ. प्रवीण कुमार)

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)